3

इण्डिया के फ्लाइट संख्या ए० ग्राई० 102 द्वारा भारत लौटे । बम्बई पहुंचने पर यह पता चला कि उनके पास पीत जबर के टीके का प्रमाण पत्न नहीं है। सुरीनाम से आने वाले याजियों के पास इस प्रमाण पत्न का होना जरूरी होता है। चंकि उन्हें शीध्र ही नई दिल्ली रवाना होना था इसलिए एयर काफ्ट के प्यमिगेशन प्रादि ग्रावश्यक पूर्व-सत्तर्कता उपाय करने के बाद उन्हें आई०ए०सी० फ्लाइट संख्या ग्राई०सी० 185 से नई दिल्ली भ्राने की सन्मति प्रदान कर दी गई। नई दिल्ली पहुंचने के उपरान्त मंत्री तथा उनके दल को भारतीय टेलीफोन उद्योग के गेस्ट हाउस में 26 ग्रगस्त, 1977 तक समिचत देखरेख और क्वारण्टीन की दशायों में क्वारण्टीन किया गया ।

26 ग्रगस्त, 1977को क्वारण्टीन से छूटने के समय इस दल के सदस्यों की उनके अपने ही श्चन्रोध पर पीत ज्वर का टीका लगा दिया गया ।

जैसा कि इस समाचार में ब्रारोप लगाया गया है, यह कहना सही नहीं है कि श्री वर्मा ग्रीर ग्रन्य दो ग्रधिकारियों ने एक "इण्टरप्राइजिंग ट्रेवल एजेन्ट के माध्यम से हैजा धीर चेवक के टीके की मृहर वाले स्वास्थ्य दस्तावेज प्राप्त किए थे। बाद में श्री वर्मा ने भी एक प्रेस नोट में यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने किसी भी यात्रा एजेन्ट के माध्यम से ये कागजात प्राप्त नहीं किए थे। इस दल के पास हैजा और चेचक के टीके के सही प्रमाणपत्र मौजद थे। यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि उन में से सभी व्यक्तियों ने आवश्यक टीके लगवाए हए थे।

भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी कागजातों की हवाई श्रडहे के स्वास्थ्य कर्मचारी जांच-पडताल नहीं करते हैं। यह जांच-पड़ताल केवल भारत में ग्राने वाले यावियों की ही की जाती है। फिर भी

यावा एजेंटो तथा एयरलाइन्स के कर्मचारियों के लि। यह स्वाभाविक ही है कि वे टिकट देते समय यदि कोई यात्री जानकारी लेना चाहे तो यावियों को यहां से जाने ग्रीर वापसी यात्राओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी अपेक्षाओं के बारे में उसी प्रकार समझायें जैसा कि वे विदेशी मद्रा विनियमों आदि के बारे में यात्रियों को समझाते हैं।

ववारण्टीन में रखे व्यक्तियों के भोजन के सम्बन्ध में कोई विशेष सावधानी नहीं बरती जाती है। क्वारण्टीन में रखें ले को भोजन क्वारण्टीन क्षेत्र के बाहर रहने वाले उनके ग्राने मित्र तथा सम्बन्धी भी पहुंचा सकते हैं। तथापि यदि यात्रियों द्वारा ग्रपने ग्राप कोई व्यवस्था न को गई हो तो उन्हें दिल्ली एवर पोर्ट का शैफेयर रेस्तरां प्रथम श्रेणी के यात्रियों के मीन् के स्टैडई के मताबिक भोजन देता है। इस प्रकार क्वारण्टीन ग्रस्पताल में केवल ठहरने के लिए कोई दाम नहीं लिए जाते हैं, बल्कि जो दाम लिये जाते हैं वे भोजन और अन्य सेवाओं के लिए, लिए जाते हैं।

समाचार में पीत ज्वर के बारे में जो संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है वह मोटे तौर पर ठीक ही है।

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

# Report (1976-77) and Accounts of the Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri and related Papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PAR-LIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA): Sir, on behalf of Shri H. N. Bahuguna, I beg to lay on the Table, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:

(i) Twenty-third Annual Report and Accounts of the Hindustan

5

Antibiotics Limited, Pimpri, for the year 1976-77, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(ii) Review by Government on the working of the Company.

[ Placed in Library. See No. LT-1487/77 for (i) and (iii)].

# Report (1975-76) and Accounts of the Tannery and Footwear Corporation of **India Limited, Kanpur and Related Papers**

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): Sir, I beg to lay on the Table:

- I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section C19A of the Companies Act, 1956:—
  - (i) Seventh Annual Report and Accounts of the Tannery and Footwear Corporation of India Limited, Kanpur, for the year 1975-76, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (ii) Review by Government on the working of the Corporation.
- II. A statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at I above.

[Placed in Library. See No. LT-1468/77 for I and II.]

I. Report (1976-77) and Accounts of the **Rural Electrification Corporation** Limited, New Delhi and Related Papers

#### H. The Central Electricity Authority Rules, 1977

THE MINISTER OF **ENERGY** (SHRI P. RAMACHANDRAN): Sir. I beg to lay on the Table:

- I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—
  - (i) Eighth Annual Report and Accounts of the Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi, for the year 1976-77, together with the Auditors Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (ii) Review by Government on the working of the Corporation.

[ Placed in Library. See No. LT-1470/77 for (i) and (ii)].

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Energy (Depart ment of Power) Notification G.S.R. No. 1662, dated the 10th December, 1977, publishing the Central Electri city Authority Rules, 1977, under sub-section (3) of section 4B of the Electricity (Supply) Amendment Act, 1976. [Placed in Library. See No. LT-1469/77].

# Report, (1976) and Accounts of the United India Fire and General Insurance **Company Limited Madras and Related** Papers.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): Sir. I beg to lay on the Table:

- I. A copy each of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:
  - (i) Thirty-ninth Annual Report and Accounts of the United India Fire and General Insurance Company Limited, Madras, for the year ended, the 31st December, 1976, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (ii) Statement (in English and Hindi) by Government accepting the above Report.